FORM No. III
फर्द अहकाम
नियम (26)

अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... ईटावा ....

.... कमलेश बाई .... बनाम .... सरकार ....

नाम मुकदमा .... 136 LR Act .... मिसल नं. .... 19.1.2025 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
14/8/25	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी ने स्वंय का नाम उंमाशकर बताते हुए निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में ओमप्रकाश नाम दर्ज है,यह ग्राम नीमसरा तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा के निवासी है । जमांबदी सवत् 2075 से 78 मुताबिक खसरा नबर 157 में काशतगार का नाम कमलेश बाई पत्नि ओमप्रकाश दर्ज है, साथ ही खसरा सख्या 468 रकबा 3.63है0 मे काशतगार मे उमांशकर पुत्र रामनाथ दर्ज है। जिसकी शुध्दि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संम्बधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर ओमप्रकाश के स्थान पर उमांशकर नाम दर्ज किया जावे । आज दिनाक 18/8/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी इटावा	